



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची



e-mail : pccf-development@gov.in

०६५१-२४८१८१३/ ९३०४७२७८५२

पत्रांक : ०१ / यो०ब०-०६/२०२०- ५१५ दिनांक : ०७/६/२०२१

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल/ साहेबगंज वन प्रमण्डल/ राँची वन प्रमण्डल/ गुमला वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका/ विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु कुल रु० 163.447 लाख (एक करोड़ तिरसठ लाख चौवालीस हजार सात सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ४/ यो०ब०-३२/२०२०-२२/स्वी० व०प० दिनांक 19.01.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या ०४/ यो०ब०-३२/२०२०-०२/आ० व०प० दिनांक 21.05.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष-७८९ अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-५८-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 163.447 लाख (एक करोड़ तिरसठ लाख चौवालीस हजार सात सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

| प्राथमिक इकाई       | विपत्र कोड         | (राशि लाख में) |
|---------------------|--------------------|----------------|
| मजदूरी              | 19S240601789580103 | 152.331        |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601789580323 | 11.116         |
| <b>कुल :-</b>       |                    | <b>163.447</b> |

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-१ पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-२ तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-३ पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601789580103 एवं 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

८२

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक—2561, दिनांक—17.04.1998 एवं समय—समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम—174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे, जिनके द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

10. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।

11. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

13. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

14. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाएगा।

(vi) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।



(vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

**15.** मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) सभी यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

**16.** COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

**17.** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरीड़ीह एवं गोड्डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

**18.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**19.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

**20.** योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

**21.** इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया



जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-झांपाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation स्समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

23. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

23. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-06 / 2020-415 दिनांक- 07/6/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ राँची/ मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ राँची/ गुमला/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-06 / 2020-415 दिनांक- 07/6/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, दुमका/ साहेबगंज/ डोरण्डा, राँची/ गुमला/ चाईबासा/ गढ़वा/ लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी            | भौतिक लक्ष्य<br>(हेक्टेक्टर में) | वित्तीय लक्ष्य |                     |          |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|----------|
|          |                                       |                                  | मजदूरी         | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
|          |                                       |                                  | 34464.23       | 2515.00             | 36979.23 |
| i        | ii                                    | iii                              | iv             | v                   | vi       |
| 1        | दुमका वन प्रमण्डल                     | 50                               | 17.232 /       | 1.257 /             | 18.489   |
| 2        | साहेबगंज वन प्रमण्डल                  | 50                               | 17.232 /       | 1.257 /             | 18.489   |
| 3        | राँची वन प्रमण्डल                     | 50                               | 17.232 /       | 1.257 /             | 18.489   |
| 4        | गुमला वन प्रमण्डल                     | 50                               | 17.232 /       | 1.257 /             | 18.489   |
| 5        | साठवाठ प्रमण्डल, चाईबासा              | 30                               | 10.339 /       | 0.755 /             | 11.094   |
| 6        | साठवाठ प्रमण्डल, गढ़वा                | 50                               | 17.232 /       | 1.258 /             | 18.490   |
| 7        | साठवाठ प्रमण्डल, लातेहार              | 50                               | 17.232 /       | 1.258 /             | 18.490   |
| 8        | साठवाठ प्रमण्डल, दुमका                | 62                               | 21.368 /       | 1.559 /             | 22.927   |
| 10       | विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका | 50                               | 17.232 /       | 1.258 /             | 18.490   |
| योग :-   |                                       | 442                              | 152.331        | 11.116              | 163.447  |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टर : 1666

पौधों की दूरी : (3m x 2m)

मजदूरी दर : 311.33 प्रति मानव दिवस

| क्र०                                  | कार्य का विवरणी  | इकाई   | मानव<br>दिवस | मजदूरी<br>(₹० में) | सामग्री<br>(₹० में) | कुल व्यय<br>(₹० में) | अभियुक्ति |
|---------------------------------------|--|--------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 1                                     | 2  | 3      | 4            | 5                  | 6                   | 7                    | 8         |
| <b>(A) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)</b> |  |        |              |                    |                     |                      |           |
| 1                                     | अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित                       | हेक्टर | 21.50        | 6693.60            | 0.00                | 6693.60              |           |
| 2                                     | वृक्षारोपण   | हेक्टर | 36.50        | 11363.55           | 0.00                | 11363.55             |           |
| 3                                     | दो कोडनी एवं निकौनी  | हेक्टर | 41.50        | 12920.20           | 0.00                | 12920.20             |           |
| 4                                     | ट्रेंच के वर्ष पर धोरण हेतु बीज रोपन                       | हेक्टर | 2.00         | 622.66             | 0.00                | 622.66               |           |
| 5                                     | पौधों की सुरक्षा (30 हेक्टर तक)                            | स्थल   | 9.20         | 2864.24            | 0.00                | 2864.24              |           |
| 6                                     | सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)                      |        | 0.00         | 0.00               | 2365.00             | 2365.00              |           |
| 7                                     | विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) |        | 0.00         | 0.00               | 150.00              | 150.00               |           |
|                                       | योग—   |        | 110.70       | 34464.23           | 2515.00             | 36979.23             |           |



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - 01/YB-06/2020/415

दिनांक -

07-Jun-2021

| क्रमांक | विपत्र कोड  | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.  | आवंटित राशि  |
|---------|---|-----------|--|--|
| 1       | S 19 24060178958010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 25103     | DMKFOR010<br>SOURAV CHANDRA<br>D.F.O.DUMKA<br>03 - मजदूरी                          | 1,723,200.00<br>रुपये स त्र ह लाख टेहस हजार<br>दो सौ |
| 2       | S 19 24060178958010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 25104     | SBJFOR001<br>SRI MANISH TIWARI<br>DIV.FOR.OFF.SAHIBG<br>NJ                         | 1,723,200.00<br>रुपये स त्र ह लाख टेहस हजार<br>दो सौ |
| 3       | S 19 24060178958010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 25105     | DRNFWL013<br>ASHOK KUMAR DUBEY<br>DFO. RANCHI FOREST<br>DIVISION RA<br>03 - मजदूरी | 1,723,200.00<br>रुपये स त्र ह लाख टेहस हजार<br>दो सौ |
|         |   |           |  | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA             |
|         |   |           |  | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA             |
|         |   |           |  | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA             |


योगः

रुपये इकावन लाख उनहत्तर हजार छ: सौ

5,169,600.00

क्रमिक योगः

(NAND KISHORE SINGH)  
ADDL PCCE DEO JHARKHAND

| क्रमांक   | विपत्र कोड  | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.  | आवंटित राशि                                       |
|---|---|-----------|--|---|
| 4   | S 19 24060178958010103<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिमूलिक बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01-अधिमूलिक बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 25106     | GMLFOR001<br>SRIKANT IFS<br>D.F.O. GUMLA<br>03 - मजदुरी                              | 1,723,200.00<br>रुपये स त्र ह लाख तेहस हजार नौ सौ |
| 5   | S 19 24060178958010103<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिमूलिक बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01-अधिमूलिक बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 25107     | SGHFOR001<br>SRI. MAHALING (I.F.S.)<br>D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA<br>03 - मजदुरी | 1,033,900.00<br>रुपये दस लाख तैतीस हजार नौ सौ     |
| 6   | S 19 24060178958010103<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिमूलिक बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01-अधिमूलिक बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 25108     | GRHFWL003<br>SAUMITRA SHUKLA<br>DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW<br>03 - मजदुरी         | 1,723,200.00<br>रुपये स त्र ह लाख तेहस हजार नौ सौ |
| State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA  |   |           |  |   |
| योगः<br>क्रमिक योगः   |   |           |  |   |
| रुपये छयानवे लाख उनचास हजार नौ सौ   |   |           |  |   |
| <br>(NAND KISHORE SINGH)<br>ADDL PCCE DEV JHARKHAND |   |           |  |   |
| 4,480,300.00<br>9,649,900.00  |   |           |  |   |

| क्रमांक     | विपत्र कोड  | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.   | आवंटित राशि                           |
|-------------|---|-----------|---|---------------------------------------|
| 7           | S 19 24060178958010103<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भन्ते | 25109     | LTRFOR004<br>SAUMITRA SHUKLA<br>D.F.O. S.F.D LATEHAR          | रुपये स त्र ह लाख टेहस हजार<br>दो सौ  |
|             |   |           |   |                                       |
|             | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA  |           |   |                                       |
| 8           | S 19 24060178958010103<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भन्ते | 25110     | DMKFOR003<br>SUSHIL SOREN (I.F.S)<br>D.F.O.S.F.DIVDUMKA       | रुपये इक्कीस लाख छत्तीस हजार<br>आठ सौ |
|             |   |           |   |                                       |
|             | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA  |           |   |                                       |
| 9           | S 19 24060178958010103<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भन्ते | 25111     | DMKFOR004<br>SRI RAJ KISHOR<br>CHAUDHARY<br>D.F.O.W.F.P.DUMKA | रुपये स त्र ह लाख टेहस हजार<br>दो सौ  |
|             |   |           |   |                                       |
|             | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA  |           |   |                                       |
| योग:        | रुपये एक करोड बावन लाख टेहस हजार एक सौ  |           |   | 5,583,200.00                          |
| क्रमिक योग: |   |           |   | 15,233,100.00                         |
|             |   |           | (NAND KISHORE SINGH)<br>PCCE DEV JHARKHAND                    |                                       |

| क्रमांक | विपत्र कोड  | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.  | आवंटित राशि                                   |
|---------|---|-----------|--|---|
| 10      | S 19 24060178958010323<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिमूलित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01-अधिमूलित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 25112     | DMKFOR010<br>SOURAV CHANDRA<br>D.F.O.DUMKA<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री                         | 125,700.00<br>रुपये एक लाख पच्चीस हजार सात सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA  |           |  |   |
| 11      | S 19 24060178958010323<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिमूलित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01-अधिमूलित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 25113     | SBJFOR001<br>SRI MANISH TIWARI<br>DIV.FOR.OFF.SAHIBG<br>NJ<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री         | 125,700.00<br>रुपये एक लाख पच्चीस हजार सात सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA  |           |  |   |
| 12      | S 19 24060178958010323<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिमूलित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01-अधिमूलित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 25114     | DRNFWL013<br>ASHOK KUMAR DUBEY<br>DFO. RANCHI FORES<br>DIVISION RA<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 125,700.00<br>रुपये एक लाख पच्चीस हजार सात सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA  |           |  |   |

योग:

रुपये एक करोड छप्पन लाख दस हजार दो सौ


377,100.00

क्रमिक योग:

15,610,200.00

(NAND KISHORE SINGH)  
ADM1 PCCE DEVI JHARKHAND

| क्रमांक     | विपत्र कोड  | एकसेस नं  | निकासी एवं व्ययन पदा.   | आवंटित राशि                                   |
|-------------|---|---|---|---|
| 13          | S 19 24060178958010323<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 25115   | GMLFOR001<br>SRIKANT IFS<br>D.F.O. GUMLA<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री  | 125,700.00<br>रुपये एक लाख पच्चीस हजार सात सौ |
|             |   |   |   |   |
|             | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA  |   |   |   |
| 14          | S 19 24060178958010323<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 25116   | SGHFOR001<br>SRI. MAHALING (I.F.S.)<br>D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA | 75,500.00<br>रुपये पचहत्तर हजार पाँच सौ       |
|             |   |   |   |   |
|             | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA  |   |   |   |
| 15          | S 19 24060178958010323<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 25117   | GRHFWL003<br>SAUMITRA SHUKLA<br>DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW         | 125,800.00<br>रुपये एक लाख पच्चीस हजार आठ सौ  |
|             |   |   |   |   |
|             | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA  |   |   |   |
| योग:        | सप्तरे एक करोड उनसठ लाख सैतीस हजार दो सौ  |   |   | 327,000.00                                    |
| क्रमिक योग: |   |   |   | 15,937,200.00                                 |
|             |   | (NAND KISHORE SINGH)<br>SARKAR PCC DEPT JHARKHAND |   |   |

| क्रमांक                                  | विपत्र कोड  | एकसेस नं  | निकासी एवं व्ययन पदा.                                      | आवंटित राशि                                  |
|--|---|---|--|--|
| 16                                       | S 19 24060178958010323<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 25118   | DMKFOR003<br>SUSHIL SOREN (I.F.S)<br>D.F.O.S.F.DIVDUMKA    | 155,900.00<br>रुपये एक लाख पचपन हजार नौ सौ   |
| 17                                       | S 19 24060178958010323<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 25119   | DMKFOR004<br>SRI RAJ KISHOR CHAUDHARY<br>D.F.O.W.F.P.DUMKA | 125,800.00<br>रुपये एक लाख पच्चीस हजार आठ सौ |
| 18                                       | S 19 24060178958010323<br>2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 25120   | LTRFOR004<br>SAUMITRA SHUKLA<br>D.F.O. S.F.D LATEHAF       | 125,800.00<br>रुपये एक लाख पच्चीस हजार आठ सौ |
| State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA |   |   |  |  |
| योग:<br>क्रमिक योग:                      |   | रुपये एक करोड तीरसठ लाख चवालीस हजार सात सौ  |  |  |
|  |   | <br>(NAND KISHORE SINGH)<br>ANDI PCCE DEV JHARKHAND |  |  |
|  |   | 407,500.00  |  |  |
|  |   | 16,344,700.00   |  |  |